13/11/17 | पत्रावली पेश हुई। वकलाये फटीकेन उपस्थित। उभय पक्षों के वकीलों की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि प्रार्थी सं. 1 की गांव बजोद में खसरा नं. 2074/51 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है एवं प्रार्थी सं. 2 का खसरा नं. 51 रकबा 5 बीघा खातेदारी जमीन पर कब्जा चला आ रहा है इसलिए इस न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्राथमिक रूप से सफलता मिलने की सम्भावना है। एवं प्रार्थी सं. 1 का खसरा नं. 2074/51 एवं प्रार्थी सं. 2 का ख. नं. 51 की 5 बीघा खातेदारी भूमि पर कब्जा होने से सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है एवं उक्त भूमियों पर विपक्षी गण सं. 1 को प्रवेश कर निर्माण करने से नहीं रोका गया तो उनको अपूरणीय क्षति होगी इसलिए उक्त भूमियों बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

जारी की जावे। वकील विपक्षी सं.1 द्वारा बहस में बतलाया गया कि प्रार्थी सं.1 की आराजी सं. 2074/41 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शे में कहीं भी मौजूद की हुई नहीं है। अपने कथन के पक्ष में नक्शे की प्रति पेश की। साथ ही यह भी बतलाया कि प्रार्थी नं.2 का खसरा नं. 41 बिलानाम पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वकील अप्रार्थी सं.1 द्वारा आगे बतलाया गया कि खसरा नं.41 बिलानाम आराजी है जिस पर अप्रार्थी सं.1 कब्जा काश्त विपक्षी खाते से आराजी लगी होने से बाप दादाओं के समय से है। बिलानाम आराजी पर किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया गया है पुराने मकान बाप दादाओं के समय से बने हुए हैं। कथन के पक्ष में संवत् 2051 से 2054 की ग्राम बडोद त॰ डूंगरपुर की जमाबन्दी के खाता सं 23 की छाया प्रति एवं कब्जा काश्त के फोटो पेश किये गये।

मैंने पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब, दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील अप्रार्थी सं.1 की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न सम्वत् 2071-2074 की जमाबन्दी की प्रति के अनुसार ग्राम बडोद पटवार हल्का जडामीया त॰ डूंगरपुर के खाता नं. नया 104 पुराना 93 खसरा नं. 2074/41 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का प्रार्थी सं. 1 खातेदार है। प्रार्थी सं 2 द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2072 की प्रति अनुसार खसरा नं. 41 बिलानाम मगरी की 4 बीघा भूमि पर प्रार्थी सं. 2 द्वारा मक्का की फसल करना जाहिर आया किन्तु इससे प्रार्थी सं. 2 का उक्त खसरे में अतिक्रमण होना जाहिर होता है। वर्तमान नियमो के अनुसार अतिक्रमी का भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है। अप्रार्थी सं 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार खसरा नं. 41 बिलानाम में अप्रार्थी सं. 2 की हैसियत भी एक अतिक्रमी की है। वर्तमान नियमो के अनुसार अतिक्रमी का भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सं. 1 के खसरा नं.2074/41 का खातेदार होने से प्राथमिक रूप से बाद में सफलता मिलने की सम्भावना होने एवं कब्जा होने से सुविधा का संतुलन पक्ष में होने एवं अपूर्व निषेधाज्ञा

जारी न करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति होने की संभावना से खसरा नं. 2074/41 के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश दिये जाते है कि मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2074/41 में अप्रार्थी सं. 1 प्रवेश कर कोई निर्माण न करें।

निर्णय आज दिनांक 13/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली केन्द्र शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO, 13/11/17